

235

उत्तर रेलवे

मुख्य कारखाना प्रबंधक
जगाधरी वर्कशाप

सं० 974-ई/हित/कोविड-19/ज0य0
सभी अधिकारीगण,

दिनांक 02.06.2020

सभी अधिकारीगण,
सभी वरिष्ठ खण्ड अभियन्ता,
जगाधरी - कालका वर्कशाप।

विषय:- होम कौंटडाइन कर्मचारियों के लीव के विषय में दिशा निर्देश।

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 01.06.2020 के द्वारा पहले भी यह दिशा निर्देश दिए गए थे

“जो कर्मचारी Beyond of Controlled reason के कारण ड्यूटी पर नहीं आ पा रहे, उन कर्मचारियों की अनुपस्थिति अवधि का केस टू केस बेस पर निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी कर्मचारी का मूल निवास स्थान Containment Zone में आता है और उस कारण वश वह ड्यूटी पर नहीं सकते या आ पा रहे, उन कर्मचारियों द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा केस टू केस पर निर्णय लिया जाएगा।”

लेकिन यह देखने में आया है कि कर्मचारी/SSE के माध्यम से इस छुट्टी अवधि को कार्मिक विभाग में सीधा भेज रहे है।

अतः सुपरवाइजर तथा कर्मचारियों को अवगत किया जाता है कि उपरोक्त दिशा निर्देश के अनुसार कर्मचारियों स्वयं का अपकाश/अवधि के लिए आपेदन सक्षम सुपरवाइजर/संबंधित अधिकारी द्वारा ही निर्णय लिया जायेगा।

02/17/2020

(विनोद कुमार)

फूते मुख्य कारखाना प्रबंधक,
जगाधरी वर्कशाप ।

प्रतिलिपि - सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. सचिव एनआरएमयू (यांत्रिक एवं विद्युत शाखा) - जगाधरी एवं कालका वर्कशाप ।
2. सचिव यूआरएमयू (यांत्रिक एवं सामान्य शाखा) - जगाधरी एवं कालका वर्कशाप ।
3. सचिव एससी/एसटी एवं ओबीसी एसोसियेशन - जगाधरी एवं कालका वर्कशाप ।
4. सभी मुख्य कार्यालय अधीक्षक/इंचार्ज - जगाधरी एवं कालका वर्कशाप ।